संख्या–650 / दो–4–2013–9जी0 / 2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनॉकः 02 जुलाई, 2013

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भॉति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–4601 / 16–11–79–9–155–99, दिनांक 23–02–1980 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–जी–2–1985 / दस–2008–339 / 2008, दिनांक 11–12–2008 द्वारा सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे के आधार पर 01 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें निर्धारित की गयी हैं।

3– उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भॉति उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार वैयक्तिक वेतन की सुविधा की अनुमन्यता तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	सादृश्य ग्रेड पे	वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित धनराशि (रूपये)
1–	सिविल जज (जू0डि0)	27,700–44,700	5400	550
2–	सिविल जज (सी0डि0)	39,530–54,010	7600	750
3–	जिला जज	51,550–63,070	10,000	1,000

4– इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–4601 / 16–11–79–9–155–99, दिनांक 23–02–1980 व समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथांवत् लागू रहेंगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– G(2)491/X/13, दिनांक 20–06–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

.....2

Rajesh 92

संख्या-650(1)/दो-4-2013-9ज0/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

Request 32

The S.O(Services)

Kindly provide date of joining in the Judicial/Higher Judicial Service of the Judicial Officer mentioned below:-

Sr. No.	Name, Designation and place of present posting	Date of Joining
1	Shri Rajnesh Kumar, Additional Civil Judge(Junior Division), Chandauli	20/04/2009
2	Shri Husain Ahmad Ansari, Civil Judge(Senior Division), Etah	16/01/2004
3	Shri Pramod Kumar-IV, Chief Judicial Magistrate, Maharajganj	21/06/2006
4	Shri Krishan Yadav, Additional District & Session Judge, Chandauli	19/08/2013
5	Shri Ravindra Kumar, Additional District & Session Judge, Kushinagar at Padrauna	19/08/2013

For [signature] 21.2.15
S.O.(Admin A-1)

[signature] 21-02-15

Section officer (Admin A1)

The date of Joining of above mentioned officers are filled in the colum of date of Joining.

[signature]
21/02/2015

[signature]
21.02.15
SO(S)

Request 92

By Regd. Post

From,

S. S. Gautam,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The District Judge,
Chandauli.

39. No. 16257 /IV-3599/Admin.(A) dated 20-11-2014

Subject: Grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme to Sri Rajnesh Kumar, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Chandauli.

Sir,

With reference to your endorsement no. 716/XV dated 18.10.2014, on the above subject, I have to say that Sri Rajnesh Kumar had sent attested copy of Date of Birth/Character certificate of his children, ~~for~~ as birth proof issued by Sunbeam School Mughalsarai instead of birth proof of his children which is issued by competent authority.

I am, therefore to request you kindly ask Sri Rajnesh Kumar, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Chandauli to submit the attested copy of birth proof issued by competent authority, to this Court, so that further necessary action may be taken in this matter.

Yours Faithfully,

15.11.14
Deputy Registrar

40. No. 16258 /IV-3599/Admin.(A) dated 20-11-2014

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Rajnesh Kumar, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Chandauli with reference to his letter dated 17.10.2014.

15.11.14
Deputy Registrar

S.O. (Admin. A-1) / D.R.(M)

Officer has not sent birth proof of his children which is issued by competent authority. May like to issue?

14.11.2014
ARO.

14/11/14

Papers 92

By Regd. Post

From,

S. S. Gautam,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The District Judge,
Chandauli.

37 No. 14479 /IV-3599/Admin.(A) dated 07-10-2014

Subject: Grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme to Sri Rajnesh Kumar, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Chandauli.

Sir,

With reference to your endorsement no. 602/XV dated 06.09.2014 forwarding therewith application of Sri Rajnesh Kumar, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Chandauli, on the above subject, I am sending herewith proforma of declaration (two) regarding grant of personal pay under Voluntary Family Planning Programme and to request you to kindly ask Sri Rajnesh Kumar to submit the same to this court duly filled up in all respects along with attested (not self-attested) copy of birth certificate of his youngest child to this court, so that further necessary action may be taken in this matter.

Yours faithfully,

Encl.-As above.

[signature] 27.9.14
Deputy Registrar

38 No. 14480 /IV-3599/Admin.(A) dated 07-10-2014

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Rajnesh Kumar, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Chandauli.

[signature] 27.9.14
Deputy Registrar

S.O. (Admin. A-D) / D.R. (M)

Officer has not submitted declaration formats (two). May like to issue?

[signature] 26.09.2014 ARO

[signature] 26/9/14

16.9.14
Total (9) pages

15253

Reg.
File IV/3599
Serial

17-9-14

प्रेषक,

रजनेश कुमार
अपर सिविल जज (जू0 डि0) चंदौली।

12-9-14
(1176)

सेवा में,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश महोदय,
चंदौली।

विषयः स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन) दिये जाने हेतु।

महोदय,

उक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 9888/4 एफ–82 एडमिन (ए) दिनाँक 22.07.13 व शासनादेश सं0 650/दो–4–2013–9जे/2012 दि0 02.07.2013 नियुक्ति अनुभाग–4 के अनुक्रम में विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि मेरी जन्मतिथि 19.08.1974 के अनुसार माह अगस्त 2014 में मेरी उम्र 40 वर्ष व मेरे दो (जुडवा) बच्चों की जन्मतिथि 17.09.2002 के अनुसार माह अगस्त 2014 में उनकी उम्र 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार शासनादेश सं0 4601/16–11–79–9/155/79, दिनाँक 23 फरवरी, 1980 के अनुसार मैं स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन) पाने का पात्र हूँ।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि मुझे स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन) दिये जाने हेतु मेरा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर !

15 SEP 2014
(08) 2688
S.O. Admn. M/A

दिनाँकः 05.09.2014

भवदीय
(हस्ताक्षर)
रजनेश कुमार
अपर सिविल जज (जू0 डि0) चंदौली।
आई. डी. 1581

संलग्नकः 1.उपरोक्त पत्रांक व शासनादेशों की छायाप्रतियां (तीन)।
2.बदायूँ व मुगलसराय(चंदौली) से निर्गत जन्मतिथि प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियाँ(चार)।
3.छायाप्रति हाईस्कूल प्रमाणपत्र।

D.R.(M) 15-9-14

Smt. Anchal

JUDGE SHIP, CHANDAULI
No. 602/XV Dated 06.9.2014
Forwarded

District Judge,
Chandauli 6/9/14

Request 92

938/XV Date - 31.7.2013

By Regd. Post

From,

S.S. Gautam,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

1. The Additional Director (Treasuries),
Camp Office, New Treasury Building,
Kutchery Road, Allahabad.

2. All District Judges/Principal Judges, Family Court
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

No. 9888 /IV f-82/Admin.(A) date 22-7-2013

Subject: Regarding Personal Pay under Voluntary Family Planning Programme.

Sir,

I am sending herewith copy of G.O. no 650/II-4-2013-9(1) 2012 dated 02.07.2013 of Appointment Section-4, Government of U.P. Lucknow, on the above subject, for your information and necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully

Gautam 18.7.13
Deputy Registrar
18/7/13

ORDER

Secr. Circulate.
B.C. to note for compliance.

I/c District Judge
Chandauli
31.7.2013

Photocopy to:-
1. B.C.

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनॉक; 02 जुलाई, 2013

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भांति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–4601/16–11–79–9–155–99, दिनांक 23–02–1980 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–जी–2–1985/दस–2008–339/2008, दिनांक 11–12–2008 द्वारा सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे के आधार पर 01 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें निर्धारित की गयी हैं।

3– उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भांति उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार वैयक्तिक वेतन की सुविधा की अनुमन्यता तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	सादृश्य ग्रेड पे	वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित धनराशि (रूपये)
1–	सिविल जज (जू0डि0)	27,700–44,700	5400	550
2–	सिविल जज (सी0डि0)	39,530–54,010	7600	750
3–	जिला जज	51,550–63,070	10,000	1,000

4– इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–4601/16–11–79–9–155–99, दिनांक 23–02–1980 व समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– G(2)491/X/13, दिनांक 20–06–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

.....2

3—इन आदेशों के प्रयोजन के लिए "वेतन" का तात्पर्य उस मूल वेतन से है जो वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 9 (21) (i) में परिभाषित है।

4—यह आदेश, दिनांक 14 अगस्त, 1988 से प्रभावी होगा।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, संख्या जी-1157/दस-267-88, लखनऊ, दिनांक 22 सितम्बर, 1988।

विषय—राज्य सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी सेवकों को ग्रामीण आवास भत्ता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1987 एवं मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों, जिन्हें शासकीय संकल्प संख्या वे०आ०-1-2246/दस-59(एम)-1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, के प्रस्तर-1(27) में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिन्हें शासनादेश संख्या जी-1-1187/दस-203-88, दिनांक 19 सितम्बर, 1988 के अधीन मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है, को पुनरीक्षित वेतनमान में नीचे तालिका में उल्लिखित वेतन स्लैबों में उनके सम्मुख इंगित दरों पर "ग्रामीण आवास भत्ता" दिया जायेगा—

वेतन सीमा (रु०)	ग्रामीण आवास भत्ते की दर (रु०)
750-999	25.00
1000-1999	40.00
2000-2999	65.00
3000-4499	90.00
4500 और इससे अधिक	125.00

2—राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया में नियुक्त सरकारी सेवकों को भी उपरोक्त दरों पर ग्रामीण आवास भत्ता दिया जायेगा।

3—इन आदेशों के प्रयोजन के लिए वेतन का तात्पर्य उस मूल वेतन से है जो वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 9 (21) (i) में परिभाषित है।

4—यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1988 से प्रभावी होगा।

(22) स्थायी पद के अर्थ है—वह पद जिसकी वेतन की एक निश्चित दर हो और जो बिना समय की सीमा लगाये हुए स्वीकृत किया गया हो।

(23) व्यक्तिगत वेतन के अर्थ है वह अतिरिक्त वेतन जो सरकारी कर्मचारी को दिया जाय—

(क) उस सावधि पद के अतिरिक्त स्थायी पद के स्थायी वेतन में वेतन पुनरीक्षण के कारण या अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा स्थायी वेतन में होने वाली कमी के कारण हानि से बचाने के लिए; अथवा

(ख) असामान्य परिस्थितियों में अन्य व्यक्तिगत बातों को विचार करके।

नियम 9 (23) (ख) के सम्बन्ध में राज्यपाल के आदेश—

1—प्रतिकर व्यक्तिगत वेतन के लिए किसी आवेदन-पत्र पर उस समय तक विचार नहीं किया जायगा जब तक कि—

(क) सरकारी कर्मचारी की सेवाएँ समान रूप से सन्तोषजनक न रही हों और उस पद के पदधारी से साधारणतया, जो आशा की जाती है उससे भी श्रेष्ठ स्वरूप की न रही हों;

(ख) सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के लिए योग्य तो हो, परन्तु निकट भविष्य में उसको कोई पदोन्नति देने की आशा न हो; और

(ग) सरकारी कर्मचारी कम-से-कम पाँच वर्ष या तो एक ही वेतन पा रहा हो अथवा यदि उसकी नियुक्ति किसी वेतन-क्रम वाले पद पर हुई हो तो वह उस वेतन-क्रम का अधिकतम प्राप्त कर रहा हो।

उपर्युक्त शर्तों के पूरा हो जाने मात्र से यह न समझना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन वैसे ही मिल जायगा। इन शर्तों का अभिप्राय यह है कि स्पष्टतया दुर्बल दावों को तुरन्त ही अस्वीकृत किया जा सके। शासन द्वारा व्यक्तिगत वेतन के लिए किसी मामले पर उस समय तक विचार न किया जायगा जब तक कि उसका स्वरूप पूर्णतया असाधारण न हो।

2—किसी व्यक्ति को किसी पद पर ड्यूटी करने के लिए जितना अधिकतम वेतन देने का औचित्य होता है उसे निश्चित रूप से उस पद के वेतन-क्रम का उच्चतम वेतन निर्धारित कर दिया जाता है। अपनी सेवा-निवृत्ति के कुछ वर्ष पूर्व ही यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति के मामले में भाग्यवश अपने वेतन-क्रम के उच्चतम वेतन पर पहुँच जाता है तो केवल इसको ही व्यक्तिगत वेतन दे करके उसे उच्चतम वेतन को बढ़ा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं समझ लेना चाहिये। दूसरी ओर व्यक्तिगत वेतन न देने के लिए पूर्ण औचित्य है; क्योंकि जो व्यक्ति अपने वेतन-क्रम के उच्चतम वेतन पर उस समय से भी पहले पहुँच गया है जो समय वेतन-क्रम निर्धारित करते समय पर्याप्त समझा गया था तो उसे अपने को भाग्यशाली समझना चाहिये कि वह अपनी सेवा को इतनी लम्बी अवधि तक अधिकतम वेतन पा सका है।

टिप्पणी (Comments)

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन सम्बन्धी राज्य सरकार का आदेश

शासनादेश सं०प०क० 4601/16-ii-79-9/155/79, दिनांक 23 फरवरी, 1980।

विषय—स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव कुछ समय से शासन के विचाराधीन था। विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या पति या अपनी समस्त पत्नियों का नसबन्दी-ऑपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे सरकारी सेवक, जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो; उन्हें वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड 2, भाग 2 से 4, मूल नियम 9 (23) (बी) के अन्तर्गत उसको अगली देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जाय, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर पूर्ण सेवा-काल में मिलता रहेगा। उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में जो अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके हैं, उन्हें अन्तिम बार दी गई वेतन-वृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जायेगा, जो पूरे सेवा-काल तक मिलता रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से लागू समझे जायें; प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो या जो ऐसी कार्यवाहियों के फलस्वरूप निलम्बित किया गया हो या जिसे वेतन-वृद्धि रोकने की शास्ति (Penalty) दी गई हो।

2—उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध) नियमावली, 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, उन्हें उक्त सुविधा देय न होगी।

3—इस सम्बन्ध में जो व्यय होगा, उस लेखाशीर्षक के नाम डाला जायगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी अपना वेतन ग्रहण करता है।

4—ये आदेश वित्त-विभाग की अशासकीय संख्या जी-2-217/दस-80, दिनांक 21 फरवरी, 1980 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(24) पद का परिकल्पित वेतन (Presumptive Pay)—जब किसी विशेष सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रयोग हो तो उसके अर्थ हैं वह वेतन जिसका कि वह हकदार होता यदि वह उस पद पर स्थायी होता और उसकी ड्यूटी करता रहता; परन्तु इसमें विशेष वेतन सम्मिलित नहीं है जब तक कि वह सरकारी कर्मचारी उस कार्य को नहीं करता अथवा उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाता या उन असहज परिस्थितियों का सामना नहीं करता जिनके कारण विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था।

Request 92

MOTHER ATHENA SCHOOL

Affiliated to Central Board of Secondary Education, Delhi
Affiliation Code No. 2130329
KAKRALA ROAD, BADAUN-243601 (UP) PH.: 05832-269070

★ Birth/Character Certificate ★

This is to certify that Master/Miss ....HIMANSHU...TYAGI........................ Son/Daughter of Shri ............RAJNESH....TYAGI........is/was bonafide student of this school. His/Her date of birth as entered in our school record is ....17.-09-2002 (in words)....17th....SEPTEMBER......TWO THOUSANL TWO..........................

To the best of my knowledge he/she bears a good moral character. He/she also has actively perticipated in co-curricular activities conducted in the school.

31/03/12

Principal
Mother Athena School
Badaun (U.P.)
Affiliation No. 2130329

31/03

PRINCIPAL

Self Attested.
05.09.14

Request 92

MOTHER ATHENA SCHOOL

Affiliated to Central Board of Secondary Education, Delhi
Affiliation Code No. 2130329
KAKRALA ROAD, BADAUN-243601 (UP) PH.: 05832-269070

★ Birth/Character Certificate ★

This is to certify that Master/Miss ....HEMANT....TYAGI..........................
Son/Daughter of Shri .........RAJNESH........TYAGI.........is/was bonafide student of this school. His/Her date of birth as entered in our school record is 17:09:2002
(in words).....17th SEPTEMBER TWO THOUSAND TWO.......................

To the best of my knowledge he/she bears a good moral character. He/she also has actively perticipated in co-curricular activities conducted in the school.

31/03/12

Principal
Mother Athena School
Badaun (U.P.)
Affiliation No. 2130329

31/03/12

PRINCIPAL

Self attested
05.08.14

Sunbeam School Mughalsarai

(Lord Shiva Educational Society)
Affiliated to CBSE, NEW DELHI (Affiliation No. 2130843)
Dulhipur, Mughalsarai

Powered by sunbeam eDUSERVE

Request 92

PROGRESS REPORT

Roll No.	17	Student's Name	HEMANT TYAGI
Reg no	2208	Father's Name	MR. RAJNESH TYAGI
Class & Sec.	7 - A	Date Of Birth	9/17/2002

Part I: Academic Performance

Subjects	FA1 Grade	FA2 Grade	SA1 Grade	Total FA1+FA2+SA1 Grade	FA3 Grade	FA4 Grade	SA2 Grade	Total FA3+FA4+SA2 Grade	Over All Grade
English	C2	B2	C2	C2	C1	C1	C2	C2	C2
Hindi	C1	B2	C2	C1	C1	B1	C1	C1	C1
Maths	C1	B1	C2	C2	B2	C1	C2	C2	C2
Science	D	C1	D	C2	C1	C2	D	C2	C2
Social Studies	C1	C1	E1	D	C2	E1	E1	E1	E1
Sanskrit	C2	B2	C2	C2	C1	B2	D	C2	C2
General Knowledge	E1	C2	D	D	C2	A2	C2	C1	C2
Computer Science	C1	C1	C1	C1	C2	C1	B2	C1	C1
CGPA									5

Part II: Co-Scholastics Areas

(A) Life Skills

Areas	Descriptive Indicator	Grade
Self Awareness	Needs to be self respecting and confident	C
Problem Solving	Identifies and states the problem but is unable to solve the same individually	C
Decision Making	Shows readiness to face challenges logically	B
Critical Thinking	Needs to raise logical questions and should try to find solutions	C
Creative Thinking	Has rich imagination and expresses thoughts creatively	B
Interpersonal Relationship	Is social, cheerful and friendly	B
Effective Communication	Knows the difference between assertive, aggressive and submissive manners of communication	B
Empathy	Demonstrates ability to respect others and is helpful	A
Managing Emotions	Is able to identify emotions and manages them positively	A
Dealing with Stress	Manages stress effectively and efficiently	B

Subject	Grade (H.Y.)	Grade (Ann)
Ev.S	C	C
Dramatics		

(B) Work Education (LTA-)

Descriptive Indicators	Grade
Displays exemplary skills in activity.	A

(C) Visual And Performaing Arts (Music and Dance)

Descriptive Indicators	Grade
Shows aesthetic sensibilities	B

(D) Attitudes And Values

Attitude Towards	Descriptive Indicator	Grade
Teachers	Demonstrates positive attitude towards learning.	B
School Mates	Respects and is sensitive towards peers	B
School Programme and Environment	Participates keenly and volunteers for school programmes.	B
Value System	Demonstrates harmony and works with the spirit of unity and brotherhood.	B

Part III: (A) Co-Scholastics Activities

Activities	Descriptive Indicators	Grade
Literary Skills (RFP)	Expresses ideas and opinions clearly.	C
Scientific Skills (Class Project)	Tries to find new and more effective solutions to problems.	C

(B) Health & Physical Education

Areas	Descriptive Indicators	Grade
Sports	Displays endurance, discipline and sportsmanship.	A
Disaster Management	Has good knowledge of Disaster Management techniques.	C

Special Achievements		
Remarks	Hemant Tyagi has been promoted to class VIII.	Attendance: 94.9 %

Class Allotted: , Sec:

Class Teacher   Co-ordinator   Self Attested 05.08.14   Principal

Honours and Awards

We proudly state the prizes ______________________ has received

MARKING CODE

(Classes I-V)
Scholastic & Co-Scholastic Areas

A+ EXCELLENT	80% & above
A VERY GOOD	70% - 79%
B+ GOOD	60% - 69%
B FAIR	50% - 59%
C+ AVERAGE	40% - 49%
C NEEDS IMPROVEMENT	Below 40%

(Classes VI-X)
Co-Scholastic Areas

Grade	Grade Point
A	4.1 - 5.0
B	3.1 - 4.0
C	2.1 - 3.0
D	1.1 - 2.0
E	0.0 - 1.0

(Classes VI-X)
Scholastic Areas

Grade	Marks Range	Grade Point
A1	91 - 100	10
A2	81 - 90	9
B1	71 - 80	8
B2	61 - 70	7
C1	51 - 60	6
C2	41 - 50	5
D	33 - 40	4
E1	21 - 32	3
E2	00 - 20	2

(Classes XI-XII)
Marking / Code

A+ EXCELLENT	90% & above
A VERY GOOD	80% - 89%
B+ GOOD	70% - 79%
B FAIR	60% - 69%
C+ AVERAGE	50% - 59%
C NEEDS TO WORK HARD	40% - 49%
D NEEDS IMPROVEMENT	Below 40%

RULES

- Report Card is an important document and should be kept neat and tidy.
- In case the report card is lost a duplicate copy will be issued on payment of ₹ 200/- only.
- The minimum percentage of passing in a subject is 40%.
- The rank of a student in a class is decided on the basis of his/her marks obtained in all the subjects.
- As per the rules 75% attendance is compulsory.
- Promotion once refused will not be reconsidered.

Sunbeam Schools™
Allahabad, Bhadohi, Deoria, Faizabad, Ghazipur
Jaunpur, Mau, Mughalsarai, Narayanpur

Powered by
sunbeam eDUSERVE
creating temple of learning!

Sunbeam School Mughalsarai

(Lord Shiva Educational Society)

Affiliated to CBSE, NEW DELHI (Affiliation No. 2130843)

Dulhipur, Mughalsarai

Powered by sunbeam eduserve

Repeat 92

PROGRESS REPORT

Roll No.	18	Student's Name	HIMANSHU TYAGI
Reg no	2209	Father's Name	MR. RAJNESH TYAGI
Class & Sec.	7 - A	Date Of Birth	9/17/2002

Part I: Academic Performance

Subjects	FA1 Grade	FA2 Grade	SA1 Grade	Total FA1+FA2+SA1 Grade	FA3 Grade	FA4 Grade	SA2 Grade	Total FA3+FA4+SA2 Grade	Over All Grade
English	B2	B1	C1	C1	B2	B2	B2	B2	C1
Hindi	C1	B1	B2	B2	B2	B1	C1	C1	B2
Maths	C1	C2	C2	C2	C1	C1	C2	C2	C2
Science	C1	C1	C1	C1	B1	B2	C1	B2	C1
Social Studies	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C2	C2	C1
Sanskrit	C2	C2	B2	C1	C2	B2	C2	C1	C1
General Knowledge	B2	C1	B2	B2	C1	B1	D	C2	C1
Computer Science	B2	C1	B2	B2	B2	B2	B1	B1	B2
CGPA									6.1

Part II: Co-Scholastics Areas

(A) Life Skills

Areas	Descriptive Indicator	Grade
Self Awareness	Is aware of his/her strengths and weaknesses	B
Problem Solving	Capable of handling various problems effectively	B
Decision Making	Shows readiness to face challenges logically	B
Critical Thinking	Listens carefully and tries to give solution	B
Creative Thinking	Has rich imagination and expresses thoughts creatively	B
Interpersonal Relationship	Is social, cheerful and friendly	B
Effective Communication	Knows the difference between assertive, aggressive and submissive manners of communication	B
Empathy	Is concerned about the problems in the society	B
Managing Emotions	Remains cool and calm under stress	B
Dealing with Stress	Remains optimistic and calm in stressful situations	A

Subject	Grade (H.Y.)	Grade (Ann)
Ev.S	B	B
Dramatics		

(B) Work Education (LTA-)

Descriptive Indicators	Grade
Displays exemplary skills in activity.	A

(C) Visual And Performaing Arts (Music and Dance)

Descriptive Indicators	Grade
Applies an innovative and creative approach	A

(D) Attitudes And Values

Attitude Towards	Descriptive Indicator	Grade
Teachers	Demonstrates positive attitude towards learning	B
School Mates	Respects and is sensitive towards peers	B
School Programme and Environment	Participates keenly and volunteers for school programmes.	B
Value System	Demonstrates harmony and works with the spirit of unity and brotherhood.	B

Part III: (A) Co-Scholastics Activities

Activities	Descriptive Indicators	Grade
Literary Skills (RFP)	Participates actively in literary events.	B
Scientific Skills (Class Project)	Takes interest in scientific activities and practicals	B

(B) Health & Physical Education

Areas	Descriptive Indicators	Grade
Sports	Displays a healthy team spirit.	B
Disaster Management	Is observant, alert and adapts to situations.	B

Special Achievements	Participated in Annual Day	
Remarks	Himanshu Tyagi has passed and is being promoted to class VIII.-	Attendance: 97.5 %

Class Teacher | Co-ordinator | Class Allotted: , Sec | Principal

Self Attested 05.09.14

Request 92

039/ 803784
000055120

220058
अनुक्रमांक

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश
बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, यू० पी०

माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश

HSIBUP-90

हाई स्कूल परीक्षा, १९९०

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभिलेखानुसार

RAJANESH KUMAR

आत्मज श्री PREM CHAND ने जिनकी जन्मतिथि

19TH AUGUST NINETEEN HUNDRED & SEVENTY FOUR (19/08/74)

है, मार्च/अप्रैल १९९० की हाईस्कूल परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तीर्ण की है:—

1.HINDI 2.ENGLISH 3.MATHEMATICS TWO

4.SCIENCE TWO 5.SOCIAL SCIENCE 6.BIOLOGY

CATEGORY OF MORAL EDUCATION : A

उत्तीर्ण श्रेणी SECOND

विद्यालय/केन्द्र JAI HIND COLL CHARTHAWAL MUZAFFARNAGAR

प्रमाण पत्र क्रमांक 0804690 इलाहाबाद REGULAR दिनांक 2/06/90

(पवनेश कुमार)
सचिव

'D' का अर्थ सम्बन्धित विषय में ''विशेष योग्यता'' है।
'HONOURS' का अर्थ ''सम्मान सहित उत्तीर्ण'' है।
टीप :—विषय का पूर्ण विवरण पृष्ठ भाग पर अंकित है।

Self Attested
05.08.14

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:08:26 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad